





फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अरिस्त जैन बनाम लक्ष्मणसिंह (कार्य)

किस्म मुकदमा प्रावण 111-128 नं० 24 सन् 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नन्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-2-23 को पेश हो ।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
7-2-23	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण 10:30 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षी स्ये. 9 के विकट कोर्से कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षीगण के कितनी बार कक-कक कर आवाजे फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने के शादेश किये जाते हैं। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथम से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नन्वर से कम है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	<p>विपक्षी स्ये 9 के विकट कोर्से कार्यवाही</p>  

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या- 24/23 प्रा0पत्र

1- श्री अरिहंत शं. श्री नवरतन जैन निवासी- गगनापुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री लक्ष्मण सिंह शं. श्री देवी सिंह राजपूत निवासी दुवाला तहसील-माण्डल (वर्ग0)
(सिद्धोक्ति प्रा0पत्र संक्रम)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 07-02-23


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुवाला पटवार हल्का दुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न सिद्धोक्ति प्रा0पत्र संक्रम कुल कित्ता 07 रकबा 1.2335 हेक्टर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्ये आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जायें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दुवाला पटवार हल्का दुवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न सिद्धोक्ति प्रा0पत्र संक्रम कुल कित्ता 07 रकबा 1.2335 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 1000/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्तु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा